झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

स्वी0 संख्या :–04/यो0बजट–53/2015 33/व0प0,राँची, दिनांक :– 24.8.2015

प्रेषक,

एA0के0 रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
पो०– डोरण्डा।
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल 259.907 लाख (दो करोड़ उनसठ लाख नब्बे हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्रिम कार्य हेतु 132.455 लाख (एक करोड़ बतीस लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–300 दिनांक 30.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत **"भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना)** के अन्तर्गत कुल 3187.510 लाख (एकतीस करोड़ सतासी लाख एकावन हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध संसूचित है।

2. इस योजनान्तर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल 259.907 लाख (दो करोड़ उनसठ लाख नब्बे हजार सात सौ रुपये) मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य–योजना (परिशिष्ट–1) की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	भौतिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22	वित्तीय वर्ष 2015–16 लाख में		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण (सरकारी गैर मजरुआ)	200	259.907	124.922	7.533	132.455
	कुल :–		259.907	124.922	7.533	132.455

4. वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त स्वीकृति राशि का लघुशीर्ष/इकाईवार की मदवार विवरणी निम्नवत है :– (राशि लाख रुपये में)

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	पूर्व में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 06–"भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना"	मजदूरी	19P240601796060103	2973.070	2702.323	270.747	124.922
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796060323	214.440	194.364	20.076	7.533
कुल स्वीकृत राशि– एक करोड़ बत्तीस लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र			3187.510	2896.687	290.823	132.455

5. भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के संबंध में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी /उप वन संरक्षक, कार्य योजना तैयार कर दिनांक 30 अगस्त 2015 तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिनके स्तर से उक्त कार्य योजना दिनांक 10 सितम्बर 2015 तक अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न वन प्रमंडलों में उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए तत्संबंधी सूचना वन एवं पर्यावरण विभाग को भी उपलब्ध करायें जायेंगे ।

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट–1 में अंकित विवरणी के अनुरुप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

7. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे। राशि का व्यय वास्तविक रुप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

33/ई0 24.8.2015

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रुप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनान्तर्गत राशि का उप आवंटन बजट उपबंध में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम – 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

13. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

14. संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन/गुणवत्ता का चयन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराया जायेगा। स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किये गये अनुशंसाओं की एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

16. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगें।

33/ह०

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

19. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक–05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक–05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

22. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(ए0के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–04/यो0बजट–53/2015 व0प0 राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सूचना प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/संबंधित निकासी एवं व्ययन प्रदाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, राँची–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए0के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–04/यो0बजट–53/2015 व0प0 राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए0के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

33/ई0बी0
24.8.2015

परिशिष

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक कार्यान्वित की जाने वाली भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का सात वा
कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं0	कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (2015–16 से 2021–22)									
			वित्तीय वर्ष 2015–16			2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	कुल
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल							
			62461.050	3766.610	66227.660	25329.770	12197.450	11109.780	10461.450	2203.580	2423.970	129953.
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
1	सा0वा0प्रमण्डल, राँची	30	18.738	1.130	19.868	7.599	3.659	3.333	3.138	0.661	0.727	38.
2	सा0वा0प्रमण्डल, सिमडेगा	30	18.738	1.130	19.868	7.599	3.659	3.333	3.138	0.661	0.727	38.
3	सा0वा0प्रमण्डल, लातेहार	30	18.738	1.130	19.868	7.599	3.659	3.333	3.138	0.661	0.727	38.
4.	सा0वा0प्रमण्डल, चाईबासा	30	18.738	1.130	19.868	7.599	3.659	3.333	3.138	0.661	0.727	38.
5	सा0वा0प्रमण्डल, आदित्यपुर	30	18.738	1.130	19.868	7.599	3.659	3.333	3.138	0.661	0.727	38.
6.	सा0वा0प्रमण्डल, दुमका	50	31.231	1.883	33.114	12.665	6.099	5.555	5.231	1.102	1.212	64.
कुल :–		200	124.922	7.533	132.455	50.660	24.395	22.220	20.923	4.407	4.848	259.

33/ स्टी0
24.8.2015

(ए0के0रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव